



मुक्त

दूरभाष— 2286709
2286710

नव चेतना कैन्ड्र, 10 अशोक पार्क, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 5625/05/76/एक/2016-17
सेवा में,

दिनांक : २१ मार्च 2017

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-बलिया।

विषय : वित्तीय वर्ष 2016-17 में सूडा द्वारा आपके जनपद (झूड़ा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा मलिन वस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा मलिन वस्तियों में इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है—

धनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
यूनियन बैंक आफ इण्डिया	353802010021714	IFSC Code UBIN0535389	29.511
(धनराशि लाख रु० में)			

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
1	बलिया	मलिन वस्ती-83 बजट	न०प० वैरिया	नगर पंचायत बैरिया की बलिया सीमा अन्तर्गत मलिन वस्ती में रामानन्द राम के मकान के सामने से सीताराम गौड़ के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली निर्माण का कार्य।	1.348
2	बलिया	मलिन वस्ती-83 बजट	न०प० वैरिया	नगर पंचायत बैरिया की बलिया सीमा अन्तर्गत मलिन वस्ती में रामदयाल गौड़ के मकान से नन्दलाल गौड़ इंटरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली निर्माण का कार्य।	0.601
3	बलिया	मलिन वस्ती-83 बजट	न०प० वैरिया	नगर पंचायत बैरिया की बलिया सीमा अन्तर्गत मलिन वस्ती में इजहार के मकान से अनवर के मकान तक एवं सुरेन्द्र पटेल के मकान से वीरेन्द्र के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली निर्माण का कार्य।	2.994
4	बलिया	मलिन वस्ती-83 बजट	न०प० वैरिया	नगर पंचायत बैरिया की बलिया सीमा अन्तर्गत मलिन वस्ती में अशोक वर्मा के मकान से भूखल पासवान के मकान तक एवं गौरी शंकर पासवान के मकान से हाकिमयन्द के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली निर्माण का कार्य।	1.962
5	बलिया	मलिन वस्ती-83 बजट	न०प० वैरिया	नगर पंचायत बैरिया की बलिया सीमा अन्तर्गत मलिन वस्ती में संजय राम के मकान से द्वारिका राम के मकान होते हुये बलराम के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली निर्माण का कार्य।	1.599
6	बलिया	मलिन वस्ती-83 बजट	न०प० वैरिया	नगर पंचायत बैरिया की बलिया सीमा अन्तर्गत मलिन वस्ती में भरत मास्टर के मकान से ताहिर के मकान होते हुये खुर्शीद मास्टर के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली निर्माण का कार्य।	1.063
7	बलिया	मलिन वस्ती-83 बजट	न०प० वैरिया	नगर पंचायत बैरिया की बलिया सीमा अन्तर्गत मलिन वस्ती में मेन रोड से नहक कुँवर के खेत/तहसील रोड तक इंटरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली निर्माण का कार्य।	1.935
8	बलिया	मलिन वस्ती-83 बजट	न०प० वैरिया	नगर पंचायत बैरिया की बलिया सीमा अन्तर्गत मलिन वस्ती में मदन कमकर के मकान से श्रीनाथ यादव के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क	0.669



648/2

दूरध्वाः— 2286709
2286710

नव घेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

क्र० सं	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)			
				एवं कवर्ड नाली निर्माण का कार्य।				
9	बलिया	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पं० वैरिया	नगर पंचायत बैरिया की बलिया सीमा अन्तर्गत मलिन बस्ती में शिवजी के मकान से पहाड़ी के मकान होते हुये रामलखन के मकान तक एवं दीना गुप्ता के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली निर्माण का कार्य।	2.558			
10	बलिया	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पं० वैरिया	नगर पंचायत बैरिया की बलिया सीमा अन्तर्गत मलिन बस्ती में इब्राहिम मियां के मकान से कन्हैया के मकान होते हुये छितेश्वर के मकान तक एवं उमाशंकर के मकान से शिवशंकर के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली निर्माण का कार्य।	1.553			
11	बलिया	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पं० वैरिया	नगर पंचायत बैरिया की बलिया सीमा अन्तर्गत मलिन बस्ती में शौकत अली के मकान से मुस्तकीम मियां के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली निर्माण का कार्य।	0.761			
12	बलिया	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पं० वैरिया	नगर पंचायत बैरिया की बलिया सीमा अन्तर्गत मलिन बस्ती में वीरा प्रसाद के मकान से सन्तोष के मकान तक एवं वरमेश्वर के मकान से डबल प्रसाद के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क निर्माण का कार्य।	0.658			
13	बलिया	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पं० वैरिया	नगर पंचायत बैरिया की बलिया सीमा अन्तर्गत मलिन बस्ती में महबूब मियां के मकान से अलाउद्दीन के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं कवर्ड नाली निर्माण का कार्य।	0.500			
14	बलिया	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पं० वैरिया	नगर पंचायत बैरिया की बलिया सीमा अन्तर्गत मलिन बस्ती में धूरा राम के मकान से अवधेश राम के मकान तक एवं शिवराम पासवान के मकान से सुमंग के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क निर्माण का कार्य।	0.454			
15	बलिया	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पं० वैरिया	नगर पंचायत बैरिया की बलिया सीमा अन्तर्गत मलिन बस्ती में कुदरुस के मकान से मसान बाबा मन्दिर तक इंटरलाकिंग सड़क निर्माण का कार्य।	0.783			
16	बलिया	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पं० वैरिया	नगर पंचायत बैरिया की बलिया सीमा अन्तर्गत मलिन बस्ती में अमर बनिया के मकान से पदन के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क निर्माण का कार्य।	0.507			
17	बलिया	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पं० वैरिया	नगर पंचायत बैरिया की बलिया सीमा अन्तर्गत मलिन बस्ती में गरज नारायण के मकान से विजय प्रताप के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क निर्माण का कार्य।	0.176			
18	बलिया	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पं० वैरिया	नगर पंचायत बैरिया की बलिया सीमा अन्तर्गत मलिन बस्ती में धन जी यादव के मकान से राजू यादव के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क निर्माण का कार्य।	1.450			
19	बलिया	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पं० वैरिया	नगर पंचायत बैरिया की बलिया सीमा अन्तर्गत मलिन बस्ती में गुड्हू के मकान से श्रीनाथ के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क निर्माण का कार्य।	0.658			
20	बलिया	मलिन बस्ती-83 बजट	न0पं० वैरिया	नगर पंचायत बैरिया की बलिया सीमा अन्तर्गत मलिन बस्ती में आशीष के मकान से धूरपत के मकान तक एवं हरेराम के मकान से अवध विहारी के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क निर्माण का कार्य।	0.672			



दूरभाष- 2286709
2286710

नव घेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्रम संख्या	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	धनराशि का प्रेषण (प्रथम किरण)
21	बलिया	मलिन वस्ती-83 बजट	न०पं० बैरिया	नगर पंचायत बैरिया की बलिया सीमा अन्तर्गत मलिन वस्ती में राजनाथ यादव के मकान से सुरेन्द्र यादव के मकान तक एवं सुमेश्वर यादव के मकान से शिवकुमार के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण का कार्य।	0.790
22	बलिया	मलिन वस्ती-83 बजट	न०पं० बैरिया	नगर पंचायत बैरिया की बलिया सीमा अन्तर्गत मलिन वस्ती में देव नारायण पासवान के मकान से मोहन राम के घर होते हुये बी०ए० नारायण के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण का कार्य।	0.943
23	बलिया	मलिन वस्ती-83 बजट	न०पं० बैरिया	नगर पंचायत बैरिया की बलिया सीमा अन्तर्गत मलिन वस्ती में सुलान खां के मकान से पिन्हू के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण का कार्य।	0.761
24	बलिया	मलिन वस्ती-83 बजट	न०पं० बैरिया	नगर पंचायत बैरिया की बलिया सीमा अन्तर्गत मलिन वस्ती में कन्हैया के घर से टेघरई नवाबदाद शर्मा के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण का कार्य।	4.116
	योग				29.511

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा मलिन वस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1— उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा मलिन वस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आ००/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2— सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3— प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तपश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4— अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि रखीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है अथवा किसी अन्य विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5— स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6— प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुरितिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7— परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख—रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदादाय की सहमति ले ली जाये।
- 8— योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9— उक्त धनराशि दूड़ा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिवन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें। प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्वीत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिवन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 10—



६१४/५

दूस्माय— 2286709

2286710

नव चेता फैन्ड, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ—226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

11—

अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

12—

शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त परियोजनाओं में सेन्टेज के अतिरिक्त अन्य कोई धनराशि अभिकरण पर नहीं रोकी गयी है।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- परियोजना निदेशक / परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
- कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।।।
- अधिकारी अभियन्ता—सूडा
- कम्प्यूटर सेल / लेखा विभाग—सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक